पत्रांक–1/रेगु॰–7–7005/2012– 2532

बिहार सरकार,

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

नवीन वर्मा,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

दखलकार/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अध्यक्ष/महाप्रबन्धक,

राज्य की चीनी मिलें।

पटना, दिनांक– 31 अक्टूबर, 2014

विषय : **राज्य में चीनी तथा उस पर आधरित उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु स्वीकृत प्रोत्साहन पैकेज–2014 के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन।**

महाशय,

गन्ना उद्योग विभाग के संकल्प संख्या–593 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा राज्य में चीनी तथा गन्ने पर आधरित उद्योगों की स्थापना एवं उनके क्षमता विस्तार हेतु प्रोत्साहन पैकेज–2014 की घोषणा की गयी है। प्रोत्साहन पैकेज निर्गत करने का मूल उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना है जिससे कि वे राज्य में ग्रीन फील्ड चीनी परियोजना, को–जेनेरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन एवं डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना के माध्यम से निवेश कर सके। इसका यह भी उद्देश्य है कि कार्यरत चीनी मिलों/उनके साथ अवस्थित डिस्टीलरियों का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण हो सके उनके साथ सह–विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित हो जिससे कि वे आर्थिक स्थायित्व प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार के साथ डिस्टीलरी एवं को–जेनरेशन इकाई की स्थापना को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। प्रोत्साहन पैकेज–2014 में वर्णित प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों से मार्ग–दर्शन की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त आलोक में प्रोत्साहन पैकेज में वर्णित बिन्दुओं पर निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट करते हुए उसके सफल कार्यान्वयन हेतु मार्ग–दर्शन संसूचित किया जाता है:–

1. **अचल पूँजी निवेश (मशीनरी एवं उपकरण) के क्रय एवं स्थापना तथा नीव निर्माण पर हुए व्यय का ऑकलन :–**

   (क) नई चीनी मिलों की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार पर प्रोत्साहन पैकेज के अंर्तगत अनुदान/छूट का आकलन :–

   (i) इस नीति के तहत दिये जानेवाले अनुदान/छूट/प्रतिपूर्त्ति, न्यूनतम 2500 टी॰सी॰डी॰ की नई चीनी मिलों की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिलों का न्यूनतम 1500 टी॰सी॰डी॰ से क्षमता विस्तार करने पर देय होगी।

   (ii) अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं मशीनरी) के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में जो कम हो देय होगी।

यह अनुदान न्यूनतम 2500 टी॰सी॰डी॰ की नई चीनी मिलों की स्थापना पर देय होगा। वर्तमान में कार्यरत चीनी मिलें भी अगर अपनी क्षमता का विस्तार न्यूनतम 1500 टी॰सी॰डी॰ करने के उपरान्त तद्नुरूप पेराई क्षमता का प्रदर्शन करती है तो उन्हें भी इस विस्तारित क्षमता के लिए अचल पूंजी निवेश [प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण] पर उपरोक्त दर पर अनुदान देय होगा।

(ख) डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए अनुदान/छूट का आकलनः–

(i) इस प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्त्ति न्यूनतम 30 K.L.P.D. क्षमता की नई डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथनॉल इकाई का न्यूनतम 15 K.L.P.D. से क्षमता विस्तार करने पर देय होगा।

(ii) अचल पूंजी निवेश [प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण] पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों मे जो कम हो देय होगी।

(iii) कार्यरत डिस्टीलरी के साथ E.N.A/इथेनॉल इकाई जोड़ने के लिए अचल पूंजी निवेश [प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण] पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 1.00 (एक) करोड़ रूपये की राशि दोनों में जो कम हो देय होगी।

(ग) चीनी मिलों के साथ सह–विद्युत–उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर रियायतें एवं छूट का आकलनः–

(i) इस प्रोत्साहन नीति के तहत न्यूनतम 10 मेगावाट की नई सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई के न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अनुदान/छूट देय होगी।

(ii) चीनी मिलों के साथ सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार पर किये गये अचल पूंजी निवेश [प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण] के निमित्त निर्धारित क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15 करोड रूपये दोनों में जो कम हो देय होगा।

(iii) चीनी मिलों द्वारा सह–विद्युत उत्पादन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का क्रय एवं विद्युत संचरण हेतु आवश्यक व्यवस्था बिहार राज्य के संबंधित उपक्रम द्वारा अपने खर्च से की जायेगी।

(घ) नये चीनी मिलों/गन्ना आधारित उद्योगों/डिस्टीलरी/ईथेनाल इकाई एवं को जेनरेशन इकाई की स्थापना के पश्चात् निवेशक द्वारा अनुदान की दावा प्रस्तुत करने हेतु विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन के साथ ईखायुक्त के समक्ष निम्नांकित सूचनाएँ उपस्थापित किये जायेंगे–

(i) अचल पूंजी निवेश अन्तर्गत स्थापित किये गये प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरणों की सूची।

(ii) इन मशीनों एवं उपकरणों के क्रय से संबंधित सत्यापित कैश–मेमों एवं भुगतान से संबंधित विवरण एवं प्रमाण–पत्र।

(iii) अचल पूँजी निवेश के संदर्भ में चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित अंकेक्षित प्रतिवेदन।

(iv) उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से संबंधित निदेशक तकनीकी विकास, उद्योग विभाग/समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ गठित कमिटी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

(ङ) वर्त्तमान् में कार्यरत चीनी मिलों/डिस्टीलरियों द्वारा क्षमता विस्तार का कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात् अनुदान का दावा प्रस्तुत करने के क्रम में विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन के साथ निम्नांकित सूचनाऐं उपस्थापित किये जायेंगे–

(i) क्षमता विस्तार के पूर्व वर्ष के औसत पेराई क्षमता के आकलन हेतु क्षमता विस्तार के पूर्व के 3 वर्षो में वर्षवार 15 सितम्बर से 28 फरवरी तक चीनी मिल द्वारा पेरी गयी ईख की मात्रा से संबंधित प्रमाण के साथ सूचनाऐं।

(ii) क्षमता विस्तार के पूर्व की मशीनरी एवं उपकरणों एवं क्षमता विस्तार के क्रम में लगाये गये मशीनरी एवं उपकरणों की तुलनात्मक सूची।

(iii) क्षमता विस्तार के क्रम में लगाये गये नये मशीनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना तथा स्थापना हेतु नीव निर्माण पर किये गये व्यय एवं भुगतान से संबंधित सत्यापित कैश–मेमों एवं प्रमाण।

(iv) चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित अंकेक्षित प्रतिवेदन।

(v) क्षमता विस्तार के ठीक पहले के तीन वर्ष का एवं विस्तारित क्षमता के साथ किये गये पेराई के वर्ष का दैनिक पेराई से संबंधित प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।

(च) कार्यरत डिस्टीलरियों द्वारा अपने क्षमता विस्तार का कार्य पूरा करने के पश्चात् अनुदान का दावा प्रस्तुत करने के क्रम में विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन के साथ उपरोक्त क्रमांक (i) से (iv) में उल्लेखित सूचनाओं के साथ क्षमता विस्तार के

ठीक पहले के वर्ष का एवं विस्तारित क्षमता के वर्ष का दैनिक उत्पादन से संबंधित प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति ईखायुक्त को उपलब्ध करवाया जायेगा।

नये चीनी मिलों/डिस्टीलरी/सह विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना एवं कार्यरत चीनी मिलों एवं डिस्टीलरियों में क्षमता विस्तार के मामलों में अचल सम्पत्ति की स्थापना एवं उस निमित्त हुए निवेश की जॉच विभाग द्वारा गठित एक विशेष जॉच दल द्वारा की जायेगी, जिसमें गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/विशेषज्ञ संस्थान के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। जॉच एवं समीक्षा के उपरान्त ईखायुक्त द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

1.1 उपरोक्त आलोक में राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार के लिए अनुदान भुगतान हेतु अचल पूँजी निवेश (प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय एवं स्थापना) तथा स्थापना हेतु नींव निर्माण पर हुए व्यय की गणना निम्न प्रकार से किया जा सकेगा:–

1.1.1 **ग्रीन फील्ड चीनी परियोजना** :– विगत् वर्षों में स्थापित किये गये विभिन्न ग्रीन फील्ड चीनी उद्योग पर हुए व्यय की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि एक आधुनिक 5000 टी.सी.डी. के चीनी इकाई की स्थापना के लिए करीब 150 करोड़ रूपये की निवेश की आवश्यकता है जिसमें फैक्टरी बिल्डिंग, जमीन और टैक्स एवं ड्यूटी इत्यादि भी सन्नहित है। इसमें 70% व्यय, मशीनरी एवं उपकरण के क्रय एवं उनके स्टेजिंग एवं नींव निर्माण पर आकलित किया गया है अर्थात् प्रति टी.सी.डी. 2.1 लाख रूपये के निवेश की आवश्यकता है उपरोक्त के आधार पर पूँजी अनुदान की राशि की गणना निम्न प्रकार होगी :–

पूँजी अनुदान = 5000 टी.सी.डी. प्लान्ट के लिए पूँजी अनुदान = 5000 x 2.1 x 0.20 = 2100 लाख (परन्तु अधिकतम् निर्धारित राशि 1500 लाख ही भुगतेय होगा)।

1.2. **को–जेनरेशन परियोजना:–** को–जेनरेशन परियोजना के संबंध में भारत सरकार ने पहले ही एस.डी.एफ. स्कीम के लिए 2.93 करोड़ रू०/मेगावाट (70 बार तक के स्टीम प्रेशर ब्यायलर के लिए) एवं 3.63 करोड़ रू०/मेगावाट (70 बार से अधिक के स्टीम प्रेशर ब्यायलर के लिए) की लागत स्वीकृत कर चुकी है। इन मानकों को–जेनरेशन परियोजना पर लागत की गणना के लिए अपनाया जा सकता है।

फिर भी मान्य (eligible) को जेनरेशन क्षमता को तय करते समय निम्नलिखित मापदंड को अपनाया जा सकता है।

1.2.1 <u>को–जेनरेशन परियोजना का आकार/क्षमता</u>

– 4.8 किलोवाट/टी.सी.डी., 70 बार तक का स्टीम ब्यायलर प्रेशर के लिए–

उदाहरणार्थ, 2500 टी.सी.डी. प्लान्ट के लिए को–जेनरेशन परियोजना का उपयुक्त आकार/क्षमता 12.0 मेगावाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

– 5.6 किलोवाट/टी.सी.डी., 70 बार से अधिक तक का स्टीम ब्यायलर प्रेशर के लिए–

उदाहरणार्थ, 2500 टी.सी.डी. प्लान्ट के लिए को–जेनरेशन परियोजना का उपयुक्त आकार/क्षमता 14 मेगावाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त अधिकतम क्षमता का निर्धारण पूँजी अनुदान के गणना के उद्देश्य से किया गया है परन्तु चीनी मिल अपने इच्छा अनुसार इससे कम क्षमता का को–जेनरेशन प्लान्ट स्थापना कर सकती है।

1.2.2 इसके अतिरिक्त, को–जेनरेशन परियोजना के लिए निवेशक कम्पनी द्वारा प्रस्तावित को–जेनरेशन इकाई द्वारा पूरे सीजन सत्र के लिए किये जाने वाले विद्युत उत्पादन के लए उपलब्ध कैपटिव बगास की मात्रा की गणना कर सूचना उपलब्ध करवाई जायेगी।

1.2.3 को–जेनरेशन परियोजना के लिए पूँजी अनुदान की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

केस– I – स्थापित क्षमता, मेगावाट में (70 बार तक का स्टीम ब्यायलर प्रेशर के लिए) x 2.93 x 0.2 = X करोड़, परन्तु निर्धारित अधिकतम 1500 लाख रू० अनुदान की अधिसीमा के अन्तर्गत।

केस–II – स्थापित क्षमता, मेगावाट में (70 बार से अधिक स्टीम ब्यायलर प्रेशर के लिए) x 3.63 X 0.2 = Y करोड, परन्तु निर्धारित अधिकतम 1500 लाख रू० अनुदान की अधिसीमा के अन्तर्गत।

1.3 **इथानॉल/डिस्टीलरी परियोजना-**

1.3.1 हाल के वर्षो में स्थापित हुए इथेनॉल/डिस्टीलरी परियोजना पर हुए व्यय की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि किसी चीनी मिल से जुड़ी हुई डिस्टीलरी की स्थापना में वर्त्तमान् लागत करीब रू० 60 लाख/कुल स्प्रीट प्रति के०एल०पी०डी. (KLPD) है।

उपरोक्त आधार पर पूँजी अनुदान की राशि = (कुल स्प्रीट का के.एल.पी.डी.(KLPD) x 0.6 x 0.2) करोड़, परन्तु निर्धारित अधिकतम 500 लाख रू० अनुदान की अधिसीमा के अन्तर्गत।

नोटः– 1 के.एल. इथानॉल = टोटल स्प्रीट का 0.9।

1.3.2 पूँजी अनुदान के प्रयोजनार्थ डिस्टीलरी के अधिकतम इलिजिबल साईज की गणना 10 लीटर/टी.सी.डी. के आधार पर की जायेगी।

उदाहरणार्थः– पूँजी अनुदान के लिए एक 2500 टन प्लान्ट के लिए डिस्टीलरी के आकार की गणना 25 के.एल.पी.डी. से ज्यादा नहीं की जायेगी क्योकि एक चीनी मिल 140 दिन के सीजन अवधि में उसके लिए आवश्यक मोलासेस उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर लेती है।

फिर भी, सुगर मिलों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे चाहें तो उपरोक्त के अलावे कम या ज्यादा क्षमता की डिस्टीलरी की स्थापना कर सकते हैं।

1.4 **आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजना**— नयी ग्रीन फील्ड चीनी परियोजना की तुलना में आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार में लागत ज्यादा लगेगी, क्योंकि प्रायः आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार की प्रक्रिया में चीनी मिलों को क्षमता में बढ़ोत्तरी के क्रम में मिल में स्थित bottlenecks के निवारण के लिए कुछ और उपकरणों को आधुनिक उपकरणों से बदलना पड़ता हैं इसलिए परियोजना लागत की गणना क्षमता विस्तार में प्रति टी.सी.डी. बढ़ोत्तरी पर 4.00 लाख/टी.सी.डी. की जा सकती है एवं जिसकी 70% प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण की लागत होगी जो 2.8 लाख/टी.सी.डी. आकलित होगी।

उदाहरणार्थः— पेराई क्षमता में 2500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक बढ़ोत्तरी पर भुगतेय अनुदान की राशि = (5000 टी.सी.डी. – 2500 टी.सी.डी.) x 2.8 x 0.2 = रू० 14 करोड़। (निर्धारित maximum सीमा 1500 लाख के अन्दर)।

1.4.1 किसी वर्त्तमान् प्लान्ट की क्षमता में बढ़ोत्तरी का आकलन के लिए निम्नलिखित आधार अपनाया जा सकता है—

<u>विस्तारीकरण के पूर्व की पेराई के लिएः</u>— विगत् 3 वर्षो में चीनी मिल द्वारा 15 दिसम्बर से 28 फरवरी तक की गई पेराई के औसत को आधार माना जायेगा।

<u>विस्तारीकरण पूरा होने</u> के बाद की पेराई के लिएः— विस्तारीकरण के बाद प्रथम सीजन जिसमें प्लान्ट द्वारा नई क्षमता से कार्य किया गया हो, में 15 दिसम्बर से 28 फरवरी तक की पेराई का औसत या उसके ठीक बाद के सत्र में 15 दिसम्बर से 28 फरवरी तक के पेराई के औसत के आधार पर गणना की जायेगी।

उदाहरणार्थः— विस्तारीकरण के बाद प्रथम सीजन में यदि किसी teeching समस्या या अपरिहार्य कारणों से फैक्टरी निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर पाती है तो वैसी दशा में, उसके बाद वाले पेराई वर्ष में 15 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्राप्त पेराई क्षमता को प्रदर्शित कर सकती है।

परन्तु,

1.4.2 पेराई हेतु सामान्य गन्ने की अनुपलब्धता की स्थिति में चीनी मिलों को लगातार 15 दिनों तक विस्तारित क्षमता से पेराई प्रदर्शित करनी होगी तथा इसका आकलन लगातार 15 दिनों में प्रतिदिन 24 घंटो में की गई पेराई के औसत के आधार पर की जायेगी। यह भी आवश्यक होगा कि वर्णित अवधि में चीनी मिले Reduced Mill extraction एवं Reduced Boiling House extraction क्रमशः 96 एवं 90 प्रतिशत अवश्य प्राप्त करेंगे।

विस्तारीकरणप के पश्चात् प्रथम पेराई सत्र में यदि किसी Teething समस्या या अपरिहार्य कारणों से चीनी मिल लगातार 15 दिनों तक विस्तारित क्षमता से पेराई प्रदर्शित नहीं कर पाती है तो वैसी स्थिति में उसके बाद वाले आगे के पेराई सत्रों में लगातार 15 दिनों तक विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है।

उपरोक्त आधार पर किये गये विस्तारित क्षमता से पेराई का भौतिक सत्यापन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के माध्यम से सम्पन्न होगा।

1.5 उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित इस्टीमेटेड पूँजी अनुदान की गणना निवेशकों द्वारा किये गये वास्तविक दावा राशि से ज्यादा नहीं होगी।

उदाहरणार्थः– यदि कोई चीनी मिल 2500 से 5000 टी.सी.डी. तक क्षमता बढ़ाती है तो उपरोक्त के आधार पर अनुमान्य पूँजी अनुदान की राशि = 2500 x 2.8 x 0.2 = 1400 लाख रूपये होगी लेकिन यदि निवेश करनेवाली कम्पनी उससे कम राशि उदाहरणार्थ 1000 लाख रूपये का दावा करती है तो अनुमान्य अनुदान 1000 लाख रूपयों तक ही सीमित रहेगी न कि 1400 लाख रूपये।

2. **चीनी पर उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्तिः–** नयी चीनी मिलों की स्थापना के उपरान्त क्षमता प्रदर्शन के वर्ष से 5 वर्षों तक उत्पादित चीनी पर देय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। कार्यरत चीनी मिलों द्वारा क्षमता विस्तारीकरण के अनुरूप प्रदर्शन के उपरान्त अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त अर्जित क्षमता के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी पर किये गये उत्पादन शुल्क के भुगतान के समतुल्य राशि की 5 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रावधान के अन्तर्गत जिन चीनी मिलों द्वारा ज्ञापांक–1533 दिनांक–12.09.2006 द्वारा पूर्व निर्गत प्रोत्साहन पैकेज में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अपने क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है, वैसी चीनी मिलों को अनुमान्य विस्तारित क्षमता के प्रदर्शन के वर्ष से लगातार 5 वर्षों तक क्षमता विस्तारीकरण के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी पर भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति शेष वर्षों के लिए की जा सकेगी।

इस प्रयोजनार्थ विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित सूचनाऐं ईखायुक्त के समक्ष उपस्थापित किये जाएंगे–

(i) क्षमता विस्तार के पूर्व के दो वर्षों में वास्तविक रूप से उत्पादित हुए चीनी की औसत मात्रा (वर्षवार एवं दिवसवार उत्पादित चीनी की मात्रा एवं रिकवरी, वार्षिक रिकवरी एवं दोनों वर्षों की औसत चीनी उत्पादन की मात्रा एवं रिकवरी के विवरण के साथ)। उन वर्षों का अंतिम आर०टी० 8 (C) एवं एक्साईज रिटर्न (E.R)–I प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति भी संलग्न किया जाए।

(ii) विस्तारित क्षमता के प्रदर्शन के वर्ष में किये गये गन्ने की पेराई के फलस्वरूप उत्पादित कुल चीनी की मात्रा एवं रिकवरी (प्रमाण–सहित)। उस वर्ष का अंतिम आर०टी० 8 (C) एवं एक्साईज रिटर्न (E.R)–I प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति भी संलग्न किया जाए।

(iii) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पाद शुल्क का दर।

(iv) उपरोक्त आधार पर क्षमता विस्तार के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी की मात्रा एवं उस पर भुगतेय उत्पाद शुल्क की राशि।

(v) उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु किये गये दावे से संबंधित विस्तृत विवरण एवं किये गये भुगतान का सत्यापन संबंधित चीनी मिल में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय उत्पाद अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। जमा की गई राशि की सत्यापित विवरणी के आधार पर समीक्षा के उपरान्त ईखायुक्त द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जायेगी।

2.1 यदि चीनी मिलें क्षमता विस्तार कर उस वर्ष क्षमता विस्तार को प्रदर्शित नहीं कर पाती है एवं उसके आगे के वर्ष में विस्तारित क्षमता कर प्रदर्शन करती है तो वैसी स्थिति में क्षमता विस्तार का वह वर्ष जिसमें चीनी मिल विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पायी थी, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की गणना से अलग रखते हुए वास्तविक क्षमता प्रदर्शन के वर्ष में उत्पादित चीनी की मात्रा एवं क्षमता विस्तार के पूर्व 2 वर्षो में उत्पादित चीनी की औसत मात्रा के अंतर को, विस्तारित क्षमता के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी की मात्रा मानी जायेगी एवं उस पर भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.2 क्षमता विस्तार के पूर्व के दो वर्षो में उत्पादित औसत चीनी उत्पादन की गणना हेतु क्षमता विस्तार हेतु निवेश आरम्भ करने के पूर्व के पेराई सत्र एवं उसके ठीक पहले के पेराई सत्र में उत्पादित चीनी की औसत मात्रा को आधार माना जाए।

3. <u>गन्ने के क्रय पर ईख क्रय–कर (Purchase Tax) की अदायगी से छूट:–</u> नयी चीनी मिलों की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार के उपरान्त क्रय किये गये गन्ना/ अतिरिक्त गन्ना पर देय ईख कर की छूट क्षमता प्रदर्शन के वर्ष से 5 वर्षो तक के लिए देय होगी। प्रोत्साहन पैकेज–2014 में अंकित प्रावधान के आलोक में क्षमता विस्तार करने वाली चीनी मिलों के लिए ईख क्रय कर में छूट की गणना निम्न रूप से किया जायेगा:–

(i) अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त अर्जित क्षमता के कारण पेराई हेतु क्रय किये गये अतिरिक्त गन्ने पर भुगतेय ईख क्रय कर से छूट प्रदान की जायेगी।

(ii) विस्तारित क्षमता से पेराई के सत्र में, पेराई हेतु क्रय की गई गन्ने की मात्रा एवं क्षमता विस्तार के पूर्व के ठीक दो वर्षो में पेराई हेतु क्रय की गई ईख की औसत मात्रा के अंतर को क्षमता विस्तार के कारण पेराई हेतु क्रय की गई अतिरिक्त गन्ने की मात्रा मानी जायेगी तथा उसी मात्रा के लिए भुगतेय ईख क्रय कर (Purchase Tax) से छूट की अनुमान्यता रहेगी।

(iii) क्षमता विस्तार के पूर्व के ठीक दो वर्षो में पेराई हेतु क्रय की गई गन्ने की औसत मात्रा की गणना हेतु क्षमता विस्तार हेतु निवेश आरम्भ करने के ठीक पूर्व के पेराई सत्र एवं उसके ठीक पहले के पेराई सत्र में क्रय की गई गन्ने की औसत मात्रा को आधार माना जाए।

(iv) क्षमता विस्तार का वैसा वर्ष जिसमें चीनी मिलें कतिपय कारणों से विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन नही कर पायी हो तो वैसे वर्ष को ईख क्रय कर भुगतान में छूट की गणना से अलग रखा जायेगा तथा वास्तविक रूप से विस्तारित पेराई क्षमता के प्रदर्शन के वर्ष को ही विस्तारित क्षमता से पेराई का वर्ष माना जायेगा।

ईख क्रय कर के भुगतान से उपरोक्त अनुमान्य छूट प्राप्त करने से संबंधित अभ्यावेदन का विहित प्रपत्र, डिक्लरेशन, अनुलग्नकों एवं चेक लिस्ट का प्रारूप अनुलग्न है। विहित प्रपत्र में अनुलग्नकों सहित अभ्यावेदन ईखायुक्त को समर्पित की जायेगी जिसकी समीक्षा कर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए छूट से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

4. **छोआ के क्रय पर भुगतान किये गये वाणिज्यकर (वैट) की प्रतिपूर्ति**:-नये डिस्टीलरी/इथेनाल इकाई की स्थापना या स्थापित डिस्टलरियों के क्षमता विस्तार के कारण उनकी अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त अर्जित क्षमता के कारण खपत किये गये अतिरिक्त छोआ के क्रय पर किये गये वाणिज्य कर (वैट) के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रावधान के अन्तर्गत जिन चीनी मिलों से संबद्ध डिस्टीलरियों द्वारा ज्ञापांक-1533 दिनांक-12.09.2006 द्वारा पूर्व निर्गत प्रोत्साहन पैकेज में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अपने क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है, वैसी डिस्टीलरियों को अनुमान्य विस्तारित क्षमता के प्रदर्शन के वर्ष से लगातार 5 वर्षों तक अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त अर्जित क्षमता के कारण क्रय कर खपत किये गये छोआ पर भुगतान किये गये वाणिज्य-कर (वैट) की प्रतिपूर्ति शेष वर्षों के लिए की जा सकेगी।

इस प्रयोजनार्थ विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित सूचनाऐं विभाग को उपस्थापित किये जायेंगे।

(i) छोआ पर वाणिज्य कर (वैट) के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर।

(ii) क्षमता विस्तार के पूर्व के वर्ष में खपत किये गये (दिवसवार) छोआ की मात्रा (क्विंटल में)।

(iii) विस्तारित क्षमता के साथ/नई इकाई में खपत किये गये (दिवसवार) कुल छोआ की मात्रा (क्विंटल में)।

(iv) उपरोक्त आधार पर क्षमता विस्तार के कारण उपयोग में लाई गई अतिरिक्त छोआ की मात्रा एवं उस पर भुगतेय वाणिज्य कर (वैट) की राशि।

(v) छोआ के क्रय पर भुगतान किये गये वाणिज्य कर (वैट) की राशि का सत्यापन स्थानीय सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा किया जायेगा। जमा की गई राशि की सत्यापित विवरणी के आधार पर समीक्षा के उपरान्त सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उसकी प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

5. **छोआ पर प्रशासनिक चार्ज से छूटः**– छोआ पर प्रशासनिक चार्ज से छूट के संबंध में उत्पाद विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत किया जायेगा एवं उसके अनुरूप कार्रवाई होगी।

6. **विद्युत कर (Electricity Duty) से छूट** :– चीनी मिलों द्वारा स्थापित सह–विद्युत उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय अगर राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम/कम्पनी द्वारा क्रय किया जाता है तब ऐसे क्रय पर कोई भी विद्युत कर देय नहीं होगा।

Renewable energy स्रोतों से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले विद्युत पर 05 वर्षो तक विद्युत कर (Electricity Duty) के भुगतान की छूट प्रदान की जाएगी।

6.1 चीनी मिलों द्वारा सह–विद्युत उत्पादन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का क्रय एवं विद्युत संचरण हेतु आवश्यक व्यवस्था बिहार राज्य के संबंधित उपक्रम द्वारा अपने खर्च से की जायेगी।

7. **चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय अन्तर्गत भुगतान किये गये प्रवेश–कर की प्रतिपूर्त्तिः**– चीनी तथा गन्ना आधारित वैसे औद्योगिक इकाई जिसका अधिकृत हिस्सा पूँजी निवेश या कुल पूँजी 200 करोड़ रूपये से कम हो तो उनके द्वारा चीनी मिलों की स्थापना/क्षमता विस्तार, डिस्टीलरी की स्थापना/क्षमता विस्तार एवं सह–विद्युत इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये जाने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी। इसके अन्तर्गत क्रय किये गये प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय से संबंधित विवरण एवं उस हेतु भुगतान किये गये प्रवेश कर से संबंधित साक्ष्य–पत्रों के साथ विहित प्रपत्र में ईखायुक्त को अभ्यावेदन दिया जायेगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा कर प्रतिपूर्त्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

8. **नयी चीनी मिलों की स्थापना**/क्षमता विस्तार, डिस्टीलरी की स्थापना/क्षमता विस्तार एवं सह–विद्युत इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये गये भूमि पर **स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की छूट**/प्रतिपूर्ति देय होगी/की जायेगी। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–1595 एवं 1596 दिनांक–03.08.2006 द्वारा राज्य में चीनी तथा उस पर आधारित उद्योग की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु निजी निवेशकों द्वारा भूमि को क्रय किये जाने संबंधित विक्रय दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्ति संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

9. **कृषि रोड मैप अंतर्गत रिकमरी रेट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष** अनुदान:– इस प्रोत्साहन नीति के तहत Recovery Rate के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन नीति के लागू होनेवाले पेराई सत्र (2013–14) के लिए 9.5 प्रतिशत Base Recovery Rate मानने का प्रावधान किया गया है। इस Base Recovery Rate से प्रत्येक 0.01 प्रतिशत Recovery Rate की वृद्धि पर 2 लाख रूपये की दर से अनुदान देय होगा। तत्पश्चात अगली पेराई सत्रों के लिए Base Recovery Rate में प्रत्येक वर्ष 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर नया Base Recovery Rate निर्धारित किया जायेगा। इस निर्धारित Base Rate से प्रत्येक 0.01 प्रतिशत Recovery Rate की वृद्धि पर 2 लाख रूपये की दर से अनुदान देय होगा। विहित प्रपत्र में अनुदान के दावा के क्रम में मिलों द्वारा निम्नांकित कागजात उपलब्ध कराये जायेंगे जिसकी समीक्षा कर सरकार से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रोत्साहन राशि के भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी:–

(i) संबंधित पेराई सत्र में की गयी दैनिक गन्ने की पेराई, चीनी विनिर्माण एवं रिकवरी से संबंधित प्रतिवेदन।

(ii) संबंधित पेराई सत्र के लिए आर॰टी॰ 8 (c) में भारत सरकार को भेजे गये फाईनल मैन्यूफैक्चरिंग रिपोर्ट की प्रति।

10. क्षमता विस्तार का तात्पर्य है अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता का विस्तार है। इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता विस्तार पर ही प्रोत्साहन/अनुदान देय होगा।

11. वर्णित प्रोत्साहन पैकेज इकाइयों को निम्नांकित शर्तों के साथ ही देय होगा तथा कार्यान्वयन/सक्षम पदाधिकारी इसे लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

(क) उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने के पश्चात् यदि कम्पनी/इकाई अपेक्षित न्यूनतम निवेश करने में असफल रहती है तो जितनी धन राशि की प्रोत्साहन/छूट दी गई है वह 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

(ख) उत्पादन तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा जबसे इकाई में विस्तारित क्षमता से, जिसके लिए वह निबंधित है, से वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ कर लिया गया हो। अर्थात् यदि किसी मिल द्वारा 5000 टी॰सी॰डी॰ तक क्षमता विस्तार हेतु SIPB की स्वीकृति प्राप्त कर अपने क्षमता को विस्तारित किया गया है तो वाणिज्यिक उत्पादन से संबंधित प्रमाण–पत्र देते समय यह आश्वस्त हो लेना चाहिए कि 5000 टी॰सी॰डी॰ की पेराई क्षमता से चीनी मिल में दैनिक ईख की पेराई हो रही है। उत्पादन तिथि के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास उद्योग विभाग का समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ गठित कमिटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि उन्हीं कम्पनी/ मिलों/इकाइयों को उपलब्ध करवाई जायेगी जिनका उस सत्र तक बकाये ईख मूल्य का भुगतान 98% हो गया हो। उपलब्ध करवाये जाने वाली अनुदान की राशि से सर्वप्रथम संबंधित मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उनके बकाये ईख मूल्य, यदि कोई हो, उसका भुगतान किया जायेगा तथा उसके पश्चात् ही अवशेष राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया जायेगा।

(घ) कम्पनी/इकाई/मिल के विरूद्ध किसी भी पेराई सत्र में घटतौली की शिकायत प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में उस पेराई सत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानान्तर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि देय नहीं होगी।

(ङ) प्रोत्साहन पैकेज वैसी ही इकाइयों को देय होगा जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद/राज्य मंत्रिपरिषद् से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षो के अन्दर वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करेंगे। नई चीनी मिलों की स्थापना/क्षमता विस्तार के उपरान्त क्षमता प्रदर्शन के वर्ष अन्तर्गत व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षो तक यह छूट देय होगी।

(च) प्रस्तावित चीनी प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसे सचिव/प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया जायेगा तथा उसपर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव/सचिव गन्ना उद्योग विभाग सदस्य होंगे, का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

(छ) चीनी मिल की स्थापना पर पूँजी निवेश (मशीनरी एवं उपकरण) पर अनुदान राशि का भुगतान वाणिज्यिक उत्पादन करने की तिथि से एक पेराई सत्र तक उत्पादन करने के पश्चात् देय होगा। अगर प्रथम वर्ष में स्थापित/विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन चीनी मिलों द्वारा नहीं किया जाता है तो अगले पेराई सत्र में चीनी मिलों के स्थापित/विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन करने के उपरान्त ही अनुदान देय होगा।

(ज) गन्ना से चीनी उद्योग एवं चीनी उद्योग के सह उत्पादों पर देय अनुदान/छूट का लाभ गन्ना से संबंधित अन्य उद्योगों पर भी देय होगा।

(झ) प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत प्राप्त दावों के निस्तार हेतु इस मार्गदर्शिका के अतिरिक्त गन्ना उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शिका निर्गत की जा सकेगी।

12. (क) प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति की दावों की समीक्षा ईखायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

(i) ईखायुक्त, बिहार, पटना — अध्यक्ष
(ii) उप सचिव/संयुक्त सचिव गन्ना उद्योग विभाग– सदस्य
(iii) वित्त विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य
(iv) संयुक्त ईखायुक्त – सदस्य सचिव
(v) निदेशक तकनीकी निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना– सदस्य
(vi) संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना – सदस्य

(ख) इस प्रोत्साहन नीति के तहत् अनुमान्य सभी अनुदान/प्रतिपूर्ति/छूट निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के निवेशकों को देय होगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 1/रेगु.–7–7005/2012– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी विभाग/ विभागाध्यक्षों/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०/ राज्य की सभी चीनी मिलें/ राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना करने वाली सभी निवेशक कम्पनी/ बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/ सी0आई0आई0, पटना क्षेत्र/अध्यक्ष, बिहार सुगर मिल एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 1/रेगु.–7–7005/2012– 2532 पटना, दिनांक–31/10/14

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गन्ना विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/10/14
प्रधान सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।